NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 09-05-2025

विषय सूची

उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम के अधीन माना

CJI ने 'इन-हाउस' पैनल की जाँच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी

भारत की नवीनतम MMR में गिरावट की प्रवृति दिख रही है

वायु रक्षा प्रणालियाँ: भारत और विश्व

CCI ने शिकारी मूल्य निर्धारण पर अंकुश लगाने के लिए नई परिभाषाओं को अधिसूचित किया

उच्चतम न्यायालय ने बिटकॉइन ट्रेडिंग को हवाला का माध्यम बताया

संक्षिप्त समाचार

कोझिकोड को आयु-अनुकूल शहर के रूप में WHO की मान्यता मिली

युवाओं की परिपक्वता-शुरुआत मधुमेह (MODY)

ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई

HAROP ड्रोन

INS अरनाला

गिद्धों

इडुक्की के इलायची क्षेत्र में छोटे घोंघे का संक्रमण

पुलित्ज़र पुरस्कार 2025

उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम के अधीन माना

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि यदि रोहिंग्या शरणार्थियों को विदेशी कानून के अंतर्गत 'विदेशी' पाया जाता है, तो उन्हें कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।

परिचय

- **याचिकाकर्त्ताओं के तर्क:**
  - संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारा रोहिंग्या को शरणार्थी के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए उन्हें गैर-प्रत्यावर्तन (शरणार्थियों को उस स्थान पर वापस न भेजना जहाँ उन्हें गंभीर खतरा हो) के सिद्धांत के तहत संरक्षण मिलना चाहिए।
  - म्यांमार में निर्वासन, जहाँ वे राज्यविहीन हैं और कथित तौर पर यातना एवं मृत्यु का सामना कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
- **सरकार और न्यायालय का दृष्टिकोण:**
  - भारत 1951 शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, और विदेशी कानून सरकार को विदेशियों के प्रवेश और निकास को विनियमित करने के व्यापक अधिकार देता है।
  - अनुच्छेद 19(1)(e) (रहने/बसने का अधिकार) केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि बुनियादी संवैधानिक सुरक्षा (जैसे अनुच्छेद 14 और 21) भारत में सभी व्यक्तियों को दी जाती है, लेकिन भारत में रहने या बसने का अधिकार नहीं।
  - पीठ ने दोहराया कि शरणार्थी भारत में रह सकते हैं या नहीं, यह भारतीय कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया के अधीन है।

रोहिंग्या शरणार्थी कौन हैं?

- रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक नृजातीय समूह हैं जिनकी जड़ें म्यांमार के अराकान साम्राज्य में हैं।
- रोहिंग्या सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध जनसंख्या से अलग हैं।
- रोहिंग्या दावा करते हैं कि वे पीढ़ियों से म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते आए हैं, लेकिन देश की सरकारें उनके संबंधों पर विवाद करते हुए उन्हें बांग्लादेश से अवैध प्रवासी कहती हैं।
- म्यांमार ने उन्हें 1982 से नागरिकता से वंचित कर रखा है, जिससे वे विश्व की सबसे बड़ी राज्यविहीन जनसंख्या बन गए हैं।
- उनका सबसे बड़ा पलायन 2017 में प्रारंभ हुआ, जिससे 7.5 लाख से अधिक लोग सुरक्षा बलों की बर्बरता से बचने के लिए बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर हुए।

भारत की शरणार्थी नीति

- भारत ने अतीत में शरणार्थियों का स्वागत किया है, लगभग 3,00,000 लोगों को शरणार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - इसमें तिब्बती, बांग्लादेश से चकमा, और अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि से शरणार्थी शामिल हैं।
- लेकिन भारत 1951 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या 1967 शरणार्थी स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है। न ही भारत की कोई शरणार्थी नीति या शरणार्थी कानून है।
- सभी विदेशी अनिर्दिष्ट नागरिकों को विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
- गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, वे विदेशी नागरिक जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के देश में प्रवेश करते हैं, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है।

भारत की शरणार्थी नीति के कारण

- **संसाधन पर दबाव:** शरणार्थियों की मेजबानी संसाधनों पर दबाव डालती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ बुनियादी ढाँचा पहले से ही तनावग्रस्त है।

- **सामाजिक समरसता:** बड़ी संख्या में शरणार्थियों से सामाजिक समरसता पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मेजबान समुदायों के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- **सुरक्षा चिंताएँ:** शरणार्थियों का प्रवाह सुरक्षा चिंताएँ बढ़ा सकता है, जिसमें चरमपंथी तत्वों की संभावित घुसपैठ और छिद्रयुक्त सीमाओं में आंदोलनों की निगरानी की कठिनाइयाँ शामिल हैं।
- **कूटनीतिक संबंध:** शरणार्थियों की मेजबानी पड़ोसी देशों या मूल देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर दबाव डाल सकती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** शरणार्थी कम-कुशल नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार बाजार प्रभावित हो सकता है, जबकि उनके उद्यमिता या श्रम के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान की संभावना पूरी तरह से महसूस नहीं की जाती।

आगे की राह

- भारत की शरणार्थी नीति मानवीयता, क्षेत्रीय भू-राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से आकार लेती है।
- हालाँकि भारत 1951 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या इसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है, उसने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न विस्थापित समुदायों को आश्रय प्रदान किया है।
- जैसे-जैसे वैश्विक विस्थापन बढ़ता जा रहा है, भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह एक स्पष्ट और सुसंगत राष्ट्रीय शरणार्थी नीति स्थापित करे जो मानवीय दायित्वों को सुरक्षा और जनसांख्यिकीय चिंताओं के साथ संतुलित करे।

Source: TH

CJI ने 'इन-हाउस' पैनल की जाँच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध लगे आरोपों की जाँच करने वाली इन-हाउस समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है।

इन-हाउस जाँच प्रक्रिया

- न्यायिक कदाचार को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया से बाहर संबोधित करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में जाँच के लिए एक "इन-हाउस प्रक्रिया" अपनाई;
  - **शिकायत दर्ज करना:** शिकायतें CJI, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति को दी जा सकती हैं।
  - **प्रारंभिक जाँच:** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरोपित न्यायाधीश से प्रतिक्रिया माँगते हैं और निष्कर्ष CJI को भेजते हैं।
  - **तथ्य-जाँच समिति:** यदि गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो CJI दो अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश को शामिल कर समिति गठित करता है।
  - **सिफारिशें और कार्रवाई:** यदि समिति को न्यायाधीश को हटाने के पर्याप्त आधार मिलते हैं, तो CJI न्यायाधीश को त्यागपत्र देने की सलाह दे सकता है। यदि न्यायाधीश मना करता है, तो रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी जाती है, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।

न्यायिक उदाहरण

- **के. वीरस्वामी बनाम भारत संघ (1991):** उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।
- **अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाम रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2014):** यदि न्यायाधीश इन-हाउस पैनल द्वारा प्रतिकूल निष्कर्षों के बावजूद त्यागपत्र देने से मना कर देता है, तो रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए संवैधानिक अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

- भारतीय संविधान अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के

न्यायाधीशों को "सिद्ध दुराचार या अक्षमता" के आधार पर हटाने का प्रावधान करता है।

- **इस प्रक्रिया में शामिल हैं:**
- **महाभियोग की शुरुआत:** हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाना चाहिए और विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का ⅓ और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का ⅓) से समर्थित होना चाहिए।
- **राष्ट्रपति की मंजूरी:** प्रस्ताव पारित होने के बाद, भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं।

निष्कर्ष

- वर्तमान इन-हाउस प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जाँच हो, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित न हो।
- जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यह भारत की कानूनी रूपरेखा की मजबूती को दर्शाती है, जो चिंताओं को संबोधित करने के साथ-साथ संस्थागत गरिमा बनाए रखने में सक्षम है।

Source: TH

भारत की नवीनतम MMR में गिरावट की प्रवृति दिख रही है

समाचार में

- भारत का नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) डेटा भारत के रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा जारी किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- महापंजीयक, देश के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षणों में से एक, नमूना पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके प्रजनन और मृत्यु दर के बारे में अनुमान लगाते हैं।

मातृ मृत्यु

- यह गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के अंदर किसी महिला की मृत्यु होती है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो, गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित या उससे बढ़े किसी भी कारण से लेकिन आकस्मिक कारणों से नहीं।
  - मातृ मृत्यु दर के प्रमुख संकेतकों में से एक मातृ मृत्यु अनुपात है, जिसे एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों का लक्ष्य वैश्विक MMR को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है।

हाल के निष्कर्ष

- भारत में मातृ मृत्यु दर 2019-21 में घटकर 93 प्रति 100,000 जीवित जन्म हो गई, जो 97 (2018-20) और 103 (2017-19) से कम है।
- सबसे अधिक MMR 20-29 आयु वर्ग में होता है, और दूसरा सबसे अधिक 30-34 आयु वर्ग में होता है।
- मध्य प्रदेश (175), असम (167), उत्तर प्रदेश (151), ओडिशा (135), छत्तीसगढ़ (132), पश्चिम बंगाल (109) और हरियाणा (106) सहित कई राज्यों में MMR अधिक है।

वैश्विक सांख्यिकी (2023)

- प्रतिदिन 700 से अधिक महिलाएँ गर्भावस्था से संबंधित रोके जा सकने वाले कारणों से मृत्यु होती हैं।
- प्रत्येक 2 मिनट में मातृ मृत्यु होती है।
- 90% से अधिक निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में होती है।
- वर्ष 2000 से 2023 तक वैश्विक MMR में लगभग 40% की गिरावट आई है।

मुद्दे और चिंताएँ

- भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।
- यह स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच का एक प्रमुख संकेतक है, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- अधिकांश मातृ मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव या गर्भपात से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती हैं, न कि आकस्मिक कारणों से।

MMR को कम करने के लिए सरकारी पहल

- भारत ने 2030 तक MMR को 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म के संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (SDG) और 2020 तक MMR को 100 से कम करने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है।
  - भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) के MMR लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (RMNCAH+N) रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP) के आधार पर MMR और नवजात मृत्यु दर को कम करने में सहायता करता है।
- **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** 2005 में प्रारंभ की गई, यह गरीब और वंचित महिलाओं (SC/ST/BPL) के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है ताकि मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सके।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** यह योजना पात्र महिलाओं को पहले जीवित जन्म के लिए ₹5,000 की मातृत्व सहायता प्रदान करती है। अप्रैल 2022 से लागू PMMVY 2.0 के तहत, यदि दूसरा बच्चा लड़की हो तो अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा मिल सके।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):** 2011 में प्रारंभ किया गया, यह गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त प्रसव, परिवहन, दवाएँ, डायग्नोस्टिक्स और सरकारी सुविधाओं में आहार प्रदान करके अनावश्यक खर्चों को समाप्त करता है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN):** 2019 में प्रारंभ किया गया, यह सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करता है, जिसका उद्देश्य रोकथाम योग्य मौतों को समाप्त करना है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** 2016 में प्रारंभ किया गया, यह प्रत्येक महीने की 9 तारीख को मुफ्त प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।
- **ई-PMSMA:** उच्च जोखिम वाली गर्भधारण को व्यक्तिगत रूप से ट्रैक करने और वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ लक्षित करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। मार्च 2025 तक 5.9 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और 2020 तक MMR को 100 से नीचे लाने के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।
- हालाँकि, 2030 तक SDG लक्ष्य के तहत MMR को 70 से नीचे लाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार करना, और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना देश में मातृ मृत्यु दर को और अधिक कम करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

Source :TH

वायु रक्षा प्रणालियाँ: भारत और विश्व

संदर्भ

- हाल ही में, भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों के माध्यम से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी हवाई हमलों को विफल कर दिया, तथा लाहौर, पाकिस्तान में एक वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया।

वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में

- ये किसी देश के सुरक्षा ढाँचे के महत्त्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें निष्प्रभावी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ये सिस्टम हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और कमांड सेंटर को मिलाकर स्तरित रक्षा तंत्र के माध्यम से कार्य करते हैं।

वायु रक्षा प्रणालियों के प्रमुख घटक

- **जाँच और निगरानी:**

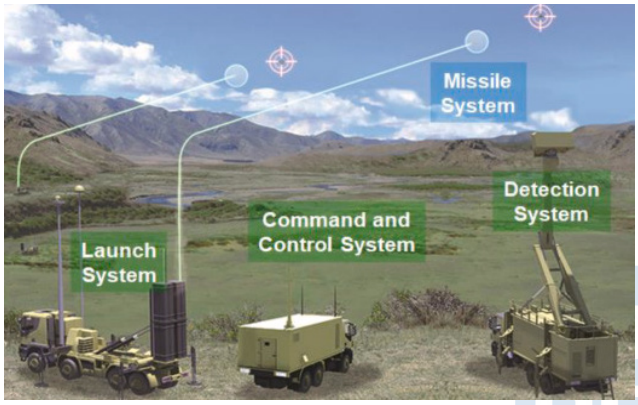

  - **रडार सिस्टम:** वायु रक्षा उच्च आवृत्ति वाली रडार तरंगों से प्रारंभ होती है जो आकाश में वस्तुओं से संकेतों को उछालकर आने वाले खतरों का पता लगाती हैं।
  - **सैटेलाइट और इन्फ्रारेड सेंसर:** उन्नत सिस्टम सैटेलाइट इमेजिंग और इन्फ्रारेड ट्रैकिंग का उपयोग करके स्टील्थ एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक मिसाइलों की पहचान करते हैं।
- **ट्रैकिंग और लक्ष्य पहचान:** एक बार किसी खतरे का पता चलने पर, ट्रैकिंग सिस्टम इसकी गति, ऊँचाई और प्रक्षेप पथ का विश्लेषण करके इसकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं - चाहे वह लड़ाकू जेट हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या ड्रोन।
  - कमांड सेंटर खतरे के स्तर का आकलन करते हैं और उचित प्रतिक्रिया पर निर्णय लेते हैं।
- **संलग्नता और निष्प्रभावीकरण:**
  - **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (SAM):** ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों या आने वाले प्रोजेक्टाइल को उनके लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही रोक देती हैं।
  - **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) सिस्टम:** जैमर दुश्मन के संचार और रडार सिग्नल को बाधित करते हैं, जिससे हमलों को समन्वित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है।
  - **एंटी-एयरक्राफ्ट आर्टिलरी:** नज़दीकी सीमा की लड़ाई में, उच्च क्षमता वाली बंदूकें रक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती हैं।

वायु रक्षा प्रणालियों के प्रकार

- **शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस (SHORAD):** ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित कम ऊँचाई वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - उदाहरण: बराक-8 मिसाइल सिस्टम।
- **मध्यम दूरी की वायु रक्षा (MRAD):** बड़े क्षेत्रों को कवर करती है, लड़ाकू जेट और लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकती है।
  - उदाहरण: पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, S-400 ट्रायम्फ।
- **लंबी दूरी की वायु रक्षा (LRAD):** पूरे क्षेत्रों की रक्षा करती है, अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) को निष्प्रभावी करने में सक्षम है।
  - उदाहरण: THAAD, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस।

भारत में प्रमुख वायु रक्षा प्रणालियाँ

- **आकाश मिसाइल सिस्टम:** यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली है जिसे कमांड गाइडेंस और चरणबद्ध सरणी रडार का उपयोग करके एक साथ कई हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम:** इसे रूस से खरीदा गया है, जो भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है।
  - यह 400 किमी तक की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें रोक सकता है।

- इसका उपयोग चीन और तुर्की द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल और विमान रक्षा के लिए भी किया जाता है।

- **एकीकृत काउंटर-यूएएस ग्रिड:** भारत ने संवेदनशील सीमाओं पर शत्रुतापूर्ण यूएवी को बेअसर करने के लिए काउंटर-ड्रोन तकनीक तैनात की है।
  - यह हवाई घुसपैठ को रोकने के लिए रडार डिटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और काइनेटिक इंटरसेप्शन को एकीकृत करता है।
- **बराक-8 मिसाइल सिस्टम:** इसे भारत और इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, और यह हवाई खतरों के विरुद्ध उच्च गति अवरोधन प्रदान करता है।
  - यह नौसेना और भूमि-आधारित वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है।

विश्व में अन्य वायु रक्षा प्रणालियाँ

- **पैट्रियट मिसाइल सिस्टम (संयुक्त राज्य अमेरिका):** इसे मिसाइल अवरोधन और हवाई खतरे को बेअसर करने के लिए व्यापक रूप से तैनात किया जाता है।
  - इसका उपयोग **अमेरिका, जर्मनी, जापान और सऊदी अरब** द्वारा उच्च ऊँचाई वाली रक्षा के लिए किया जाता है।
- **आयरन डोम (इज़राइल):** इसे कम दूरी की मिसाइल अवरोधन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विशेष रूप से रॉकेट हमलों के खिलाफ प्रभावी है।
  - इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए इज़राइल द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- **टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) - संयुक्त राज्य अमेरिका:** यह एक उच्च ऊँचाई वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो अपने टर्मिनल चरण में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है।
  - इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा तैनात किया गया है।

Source: IE

CCI ने प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण पर अंकुश लगाने के लिए नई परिभाषाओं को अधिसूचित किया

समाचार में

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने "उत्पादन लागत निर्धारण विनियम, 2025" को अधिसूचित किया है, जो इसके 2009 के ढाँचे को प्रतिस्थापित करता है।

परिचय

- यह नियामक परिवर्तन प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण और गहरी छूट की बेहतर जाँच करने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है, विशेष रूप से ई-कॉमर्स और त्वरित वाणिज्य क्षेत्रों में।

पृष्ठभूमि: शिकारी मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा कानून

- प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है: "प्रतिस्पर्धा को कम करने या प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के इरादे से उत्पादन लागत से कम मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं का प्रावधान।"
- इस प्रकार की प्रथाओं को अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में माना जाता है।
- पहले के लागत विनियम (2009) डिजिटल बाजारों के उभरने के कारण पुरानी पड़ती जा रही थी, जो जटिल मूल्य संरचनाओं, क्रॉस-सब्सिडी और गैर-मौद्रिक मूल्य विनिमय को शामिल करते हैं।

2025 विनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- **लचीलाशील, क्षेत्र-तटस्थ ढाँचा:** एक समान मॉडल से अलग होकर क्षेत्र-विशिष्ट गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए मामले-दर-मामले मूल्यांकन की अनुमति देता है, जिसमें प्लेटफ़ॉर्म-आधारित डिजिटल व्यवसाय भी शामिल हैं।
- **मापने योग्य उत्पादन लागत पर ध्यान:** आंतरिक उत्पादन लागत को मानक के रूप में पुन: स्थापित करता है, न कि बाज़ार मूल्य को (जो उपभोक्ता धारणाओं, ब्रांड मूल्य या सब्सिडी से प्रभावित हो सकता है)।

- **बाज़ार मूल्य के उपयोग को अस्वीकार:** हितधारकों के बाजार मूल्य को मानक बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है क्योंकि यह विषयगत और बाहरी निर्भरता से प्रभावित होता है।
- **आधुनिकीकरण और वैश्विक समायोजन:** अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कानून मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्थाओं और गतिशील मूल्य निर्धारण से संबंधित आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों और न्यायिक व्याख्याओं को शामिल करता है।

महत्त्व

- **कानूनी स्पष्टता:** आर्थिक तर्क पर आधारित एक परिभाषित लागत-बेंचमार्क ढाँचा प्रदान करता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था की तैयारी:** डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रचलित क्रॉस-सब्सिडीकरण, उच्च स्थिर लागत और गैर-पारंपरिक राजस्व मॉडल को ध्यान में रखता है।
- **उपभोक्ता और MSME सुरक्षा:** प्रमुख कंपनियों को मूल्य युद्ध के माध्यम से छोटे अभिकर्त्ताओं को समाप्त करने से रोकता है।
- **नियमन में आसानी:** CCI की क्षमता को बेहतर बनाता है जिससे वह प्रतिस्पर्धा-विरोधी मूल्य निर्धारण की जाँच, मात्रात्मक आकलन और निर्णय लेने में सुसंगतता बनाए रख सके।

Source :TH

उच्चतम न्यायालय ने बिटकॉइन ट्रेडिंग को हवाला का माध्यम बताया

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में बिटकॉइन व्यापार की अनियमित प्रकृति पर चिंता व्यक्त की और इसकी तुलना "हवाला कारोबार के परिष्कृत तरीके" से की।

बिटकॉइन क्या है?

- बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है, जिससे इसे नकली बनाना या दोहरा व्यय करना मुश्किल हो जाता है।
- यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर कार्य करता है - कंप्यूटर के नेटवर्क द्वारा लागू किया जाने वाला एक वितरित खाता बही।
- क्रिप्टोकरेंसी को सामान्यतः किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, जो उन्हें सैद्धांतिक रूप से सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से मुक्त बनाता है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

- ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेन्द्रीकृत, वितरित खाता प्रणाली है जो कई कंप्यूटरों में लेनदेन को इस तरह से रिकॉर्ड करती है कि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
- ब्लॉकचेन नेटवर्क लेनदेन को मान्य करने और नेटवर्क अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति एल्गोरिदम पर निर्भर करते हैं।
  - ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि केवल वैध लेनदेन ही शृंखला में जोड़े जाएँ।

बिटकॉइन से संबंधित चिंताएँ

- **विनियमन की कमी:** बार-बार न्यायिक संकेतों के बावजूद, सरकार ने वर्चुअल मुद्रा के लिए स्पष्ट कानूनी ढाँचा जारी नहीं किया है।
- **दुरुपयोग की संभावना:** KYC/AML प्रवर्तन की अनुपस्थिति और इसकी सीमा-पार प्रकृति के कारण, क्रिप्टोक्यूरेंसी का अवैध गतिविधियों, जैसे डिजिटल हवाला के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **वित्तीय अखंडता के लिए खतरा:** बिना विनियमन वाला बाजार भारत के काले धन पर नियंत्रण और पूँजी नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों को खतरे में डाल सकता है।

भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी परिदृश्य

- वर्तमान में, भारत में कोई ऐसा कानून या प्रावधान नहीं है जो विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित हो। भारत ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को आधिकारिक रूप से न तो प्रतिबंधित किया है और न ही अनुमति दी है।
- **विनियामक अनिश्चितता:** 2018 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध लगाने

का प्रस्ताव दिया था, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इसे "समष्टि-आर्थिक जोखिम" करार देते हुए बैंकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की सुविधा प्रदान करने से रोक दिया था।

- इस निर्णय को 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया।

- **कराधान नीति:** भारतीय सरकार ने 2022 में आभासी डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाया, साथ ही प्रत्येक लेनदेन पर 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) निर्धारित की।
  - इन कठोर उपायों ने भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के प्रति उत्साह को कम कर दिया है।

हवाला क्या है?

- हवाला नकदी के भौतिक हस्तांतरण के बिना धन स्थानांतरित करने की एक अनौपचारिक विधि है। यह पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के बाहर कार्य करता है और प्रायःधन शोधन, आतंक वित्तपोषण और कर चोरी के लिए उपयोग किया जाता है।

कैसे बिटकॉइन हवाला में शामिल हो सकता है?

- **गोपनीयता:** पारंपरिक हवाला भरोसे और गोपनीयता पर आधारित होता है।
  - बिटकॉइन छद्म नाम वाली लेनदेन की अनुमति देता है, जिसे ट्रैक करना कठिन होता है, जिससे यह हवाला की गोपनीयता जैसा लगता है।
- **सीमा-पार लेनदेन:** पारंपरिक हवाला में, धन भौतिक रूप से सीमाओं को पार नहीं करता; बैलेंस अनौपचारिक रूप से समायोजित किए जाते हैं।
  - बिटकॉइन के माध्यम से, एक व्यक्ति किसी देश से बिटकॉइन किसी अन्य देश में अपने समकक्ष को भेज सकता है, जो इसे स्थानीय मुद्रा में बदल सकता है और इसे इच्छित प्राप्तकर्त्ता को वितरित कर सकता है—यह प्रक्रिया हवाला मॉडल को प्रतिबिंबित करती है।
- **तेज़ लेनदेन:** पारंपरिक धन प्रेषण में कई दिन लगते हैं और शुल्क लगता है, जबकि बिटकॉइन लेनदेन लगभग तत्काल और कम लागत वाले होते हैं, जिससे यह अवैध स्थानांतरण के लिए आकर्षक बन जाता है।

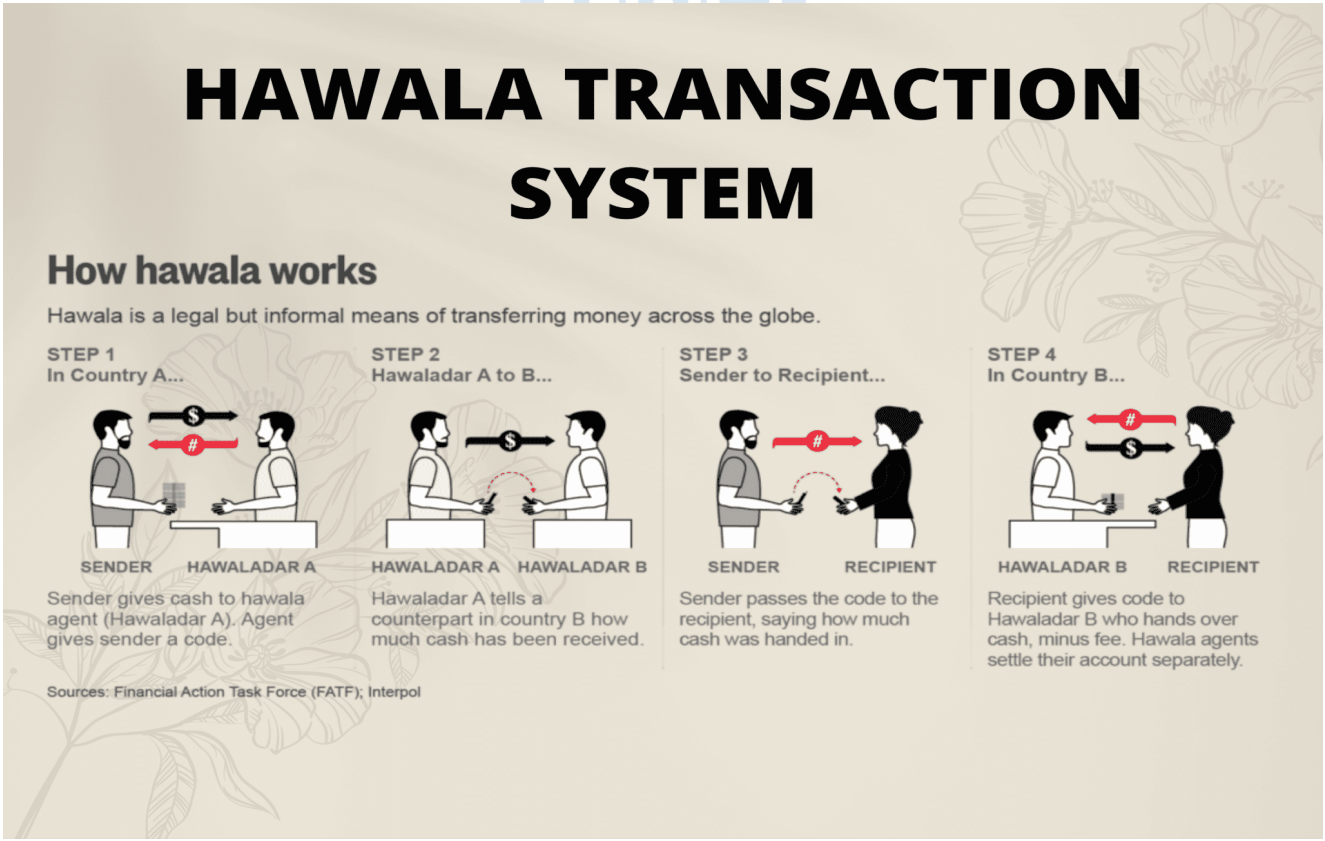

आगे की राह

- **व्यापक कानून:** भारत को क्रिप्टोकरेंसी, एक्सचेंज और वॉलेट को परिभाषित और विनियमित करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाना चाहिए।
- **प्रवर्तन को मजबूत करना:** क्रिप्टो लेनदेन की निगरानी के लिए वित्तीय खुफिया इकाइयों की क्षमताओं को बढ़ाना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** क्रिप्टो गवर्नेंस पर वैश्विक मानदंड स्थापित करने के लिए FATF और G20 के साथ कार्य करें।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

कोझिकोड को आयु-अनुकूल शहर के रूप में WHO की मान्यता मिली

संदर्भ

- कोझिकोड शहर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज-फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज (GNAFCC) का सदस्य बनकर वैश्विक मान्यता प्राप्त की है।

एज-फ्रेंडली शहर क्या है?

- एक एज-फ्रेंडली शहर यह सुनिश्चित करता है कि शहरी पर्यावरण, बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ वृद्ध वयस्कों के लिए सुलभ और समावेशी हों। यह निम्नलिखित चुनौतियों को संबोधित करता है:
  - सुलभ सार्वजनिक स्थान (पार्क, परिवहन, भवन)
  - सस्ती और उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक समर्थन
  - वृद्धजन अनुकूल संचार उपकरण
  - सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी

WHO ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज-फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज (GNAFCC)

- **स्थापना:** 2010
- इस नेटवर्क का मिशन संपूर्ण विश्व में शहरों और समुदायों को अधिक उम्र-हितैषी बनने के लिए प्रेरित करना और सक्षम बनाना है।
- **नेटवर्क निम्नलिखित तरीकों से यह लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है:**
  - यह दिखाकर बदलाव को प्रेरित करना कि क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है।
  - शहरों और समुदायों को जोड़कर सूचना, ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान को सुगम बनाना।
  - शहरों और समुदायों को उपयुक्त नवाचारों और साक्ष्य-आधारित समाधानों को खोजने में सहायता प्रदान करना।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क(UCCN)

- कोझिकोड को 2022 में साहित्य श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया।
- यह यूनेस्को **"साहित्य के शहर"** के अंतर्गत प्रथम भारतीय शहर बन गया।

Source: TH

युवाओं की परिपक्वता-शुरुआत मधुमेह (MODY)

समाचार में

- मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF), चेन्नई और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने युवा उम्र में प्रारंभ होने वाले मधुमेह (MODY) के एक नए उपप्रकार की खोज की है, जिससे अब मान्यता प्राप्त उपप्रकारों की कुल संख्या 14 हो गई है।

युवा उम्र में शुरू होने वाला मधुमेह (MODY)

- यह मोनोजेनिक डायबिटीज का एक प्रकार है, जिसे पहले हल्के और बिना लक्षण वाले मधुमेह के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे गैर-मोटे बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों में देखा गया था।
- यह अग्न्याशय के आइसलेट कोशिकाओं के विकास में दोष के कारण होता है, जो इंसुलिन स्राव को बाधित करता है।

- यह सामान्यतः ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में वंशानुगत होता है, और रोगियों में सामान्यतः विषमसूत्रीय उत्परिवर्तन (हेटेरोज़ाइगस म्यूटेशन) पाए जाते हैं।

नवीनतम प्रगति

- भारतीय रोगियों में पाए गए नए पहचाने गए आनुवंशिक प्रकार ने अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में पोटैशियम चैनल फ़ंक्शन को प्रभावित किया, जिससे इंसुलिन स्राव बाधित होता है और जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज़्म से मधुमेह की ओर स्थानांतरण होता है।
- अन्य MODY रूपों के विपरीत, यह मानक उपचार, जैसे सल्फोनाइलयूरिया, का प्रतिक्रिया नहीं देता।

मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस(DM)

- यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है।
- यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या जो इंसुलिन बनाता है, उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है।

मधुमेह के प्रकार:

- **टाइप 1 डायबिटीज़:** एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है।
- **टाइप 2 डायबिटीज़:** सबसे सामान्य प्रकार, जो प्रायः मोटापे और गतिहीन जीवनशैली जैसे जीवनशैली कारकों से जुड़ा होता है। शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है।

गर्भावधि मधुमेह: गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाता है।

लक्षण: बार-बार पेशाब आना, प्यास बढ़ना, अत्यधिक भूख लगना, धुंधली दृष्टि और थकान।

Source: TH

ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई

संदर्भ

- लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू होने जा रहा है, जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया जाएगा।

परिचय

- ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का आधिकारिक उद्घाटन 11 मई को किया जाएगा, जो भारत की रक्षा निर्माण यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।
- यह सुविधा ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा ₹300 करोड़ के निवेश से स्थापित की जा रही है। यह इकाई निर्माण से लेकर उत्पादन तक केवल 3.5 वर्षों में पूरी हो गई है।
- यह राज्य में अपनी तरह की प्रथम उच्च तकनीक वाली इकाई होगी।

महत्त्व

- **रणनीतिक प्रभाव:** भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है।
- **औद्योगिक प्रभाव:** राज्य में आधुनिक विनिर्माण तकनीकों को लाता है, सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- **रोजगार सृजन:**
  - 500 प्रत्यक्ष रोजगार(इंजीनियर एवं तकनीशियन)।
  - विभिन्न कौशल स्तरों पर हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार।

ब्रह्मोस के बारे में

- यह भारत के DRDO (50.5%) और रूस के NPOM (49.5%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- व्युत्पत्ति: ब्रह्मोस = ब्रह्मपुत्र (भारत) + मॉस्कवा (रूस), जो शक्ति और शांति का प्रतीक है।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें अपनी गति, सटीकता और बहुउपयोगिता के लिए प्रसिद्ध हैं।

Source: IE

HAROP ड्रोन

संदर्भ

- रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पाकिस्तान में कई वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए HAROP ड्रोन का इस्तेमाल किया।

इसके बारे में

- इसे IAI (इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज) द्वारा विकसित किया गया है और यह HARPY प्लेटफ़ॉर्म के बाद दूसरी पीढ़ी की प्रणाली है।
- वे अपने साथ विस्फोटक पेलोड लेकर अपने लक्ष्यों पर हमला करके विनाश का कारण बनते हैं, जिसके कारण उन्हें "आत्मघाती ड्रोन" और "कामिकेज़ ड्रोन" जैसे नाम मिले हैं।
- **दोहरी भूमिका क्षमता:** निगरानी ड्रोन और सटीक स्ट्राइक मिसाइल दोनों के रूप में कार्य करता है।

विशेषताएँ:

- 9 घंटे तक धैर्य बनाये रखना।
- ऑपरेशनल रेंज 1,000 किमी. तक, फ्रंटलाइन एक्सपोज़र के बिना डीप-स्ट्राइक ऑपरेशन को सक्षम बनाता है।
- पूरी तरह से स्वायत्त खोज और ट्रैकिंग।
- दो-तरफ़ा डेटा लिंक ऑपरेटरों को वास्तविक समय में लक्ष्यीकरण निर्णय लेने और ज़रूरत पड़ने पर मिशन को रद्द करने की अनुमति देता है।
- हमले को बीच उड़ान में रद्द किया जा सकता है, जिससे फिर से घूमकर देखा जा सकता है - जिससे संपार्श्विक क्षति के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- **इसके विरुद्ध प्रभावी:** रडार, मिसाइल सिस्टम, मोबाइल यूनिट, दुश्मन के बंकर/ठिकाने।

Source: IE

INS अरनाला

संदर्भ

- भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) के लिए डिज़ाइन किए गए एक नए उथले पानी के जहाज की डिलीवरी ली।

INS अर्नाला

- अर्नाला श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) कोरवेट का प्रमुख जहाज है, इसका नाम अर्नाला द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो महाराष्ट्र के तट पर स्थित है।
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया।
- **भूमिका:** जहाज को जल के नीचे निगरानी, खोज और बचाव कार्यों और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (LIMO) के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विशेषताएँ:

- जहाज तटीय जल की पूर्ण पैमाने पर उप-सतह निगरानी के साथ-साथ खोज और हमला करने में सक्षम है। यह विमान के समन्वय में ASW ऑपरेशन भी कर सकता है।
- अर्नाला में हल्के टॉरपीडो और ASW रॉकेट से युक्त एक लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली और आयुध भी है।

Source: PIB

गिद्धों (Vultures)

संदर्भ

- दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में शिकारियों द्वारा छोड़े गए जहरीले हाथी के शव को खाने से कम से कम 123 गिद्धों की मौत हो गई।

गिद्ध

- वे बड़े, सामाजिक शिकारी पक्षी हैं जो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं।
- इसकी 23 प्रजातियाँ हैं, जो नए क्षेत्र में पाए जाने वाले गिद्धों (अमेरिका) और पुराने क्षेत्र में पाए जाने वाले गिद्धों (यूरोप, एशिया, अफ्रीका) में विभाजित हैं, जो अभिसारी विकास के माध्यम से अलग-अलग विकसित हुए हैं और आपस में निकट से संबंधित नहीं हैं।

भारत में स्थिति

- भारत में जंगली गिद्धों की नौ प्रजातियाँ हैं।
- ये हैं ओरिएंटल सफेद पीठ वाला गिद्ध (जिप्स बंगालेंसिस), पतली चोंच वाला गिद्ध (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस), लंबी चोंच वाला गिद्ध (जिप्स इंडिकस), मिस्री गिद्ध (निओफ्रॉन पर्क्नोप्टेरस), लाल सिर वाला गिद्ध (सरकोजिप्स कैल्वस), भारतीय ग्रिफन गिद्ध (जिप्स फुलवस), हिमालयी ग्रिफन (जिप्स हिमालयेंसिस),

सिनेरियस गिद्ध (एजिपियस मोनाचस) और दाढ़ी युक्त गिद्ध या लैमर्जियर (जिपेटस बार्बेटस)

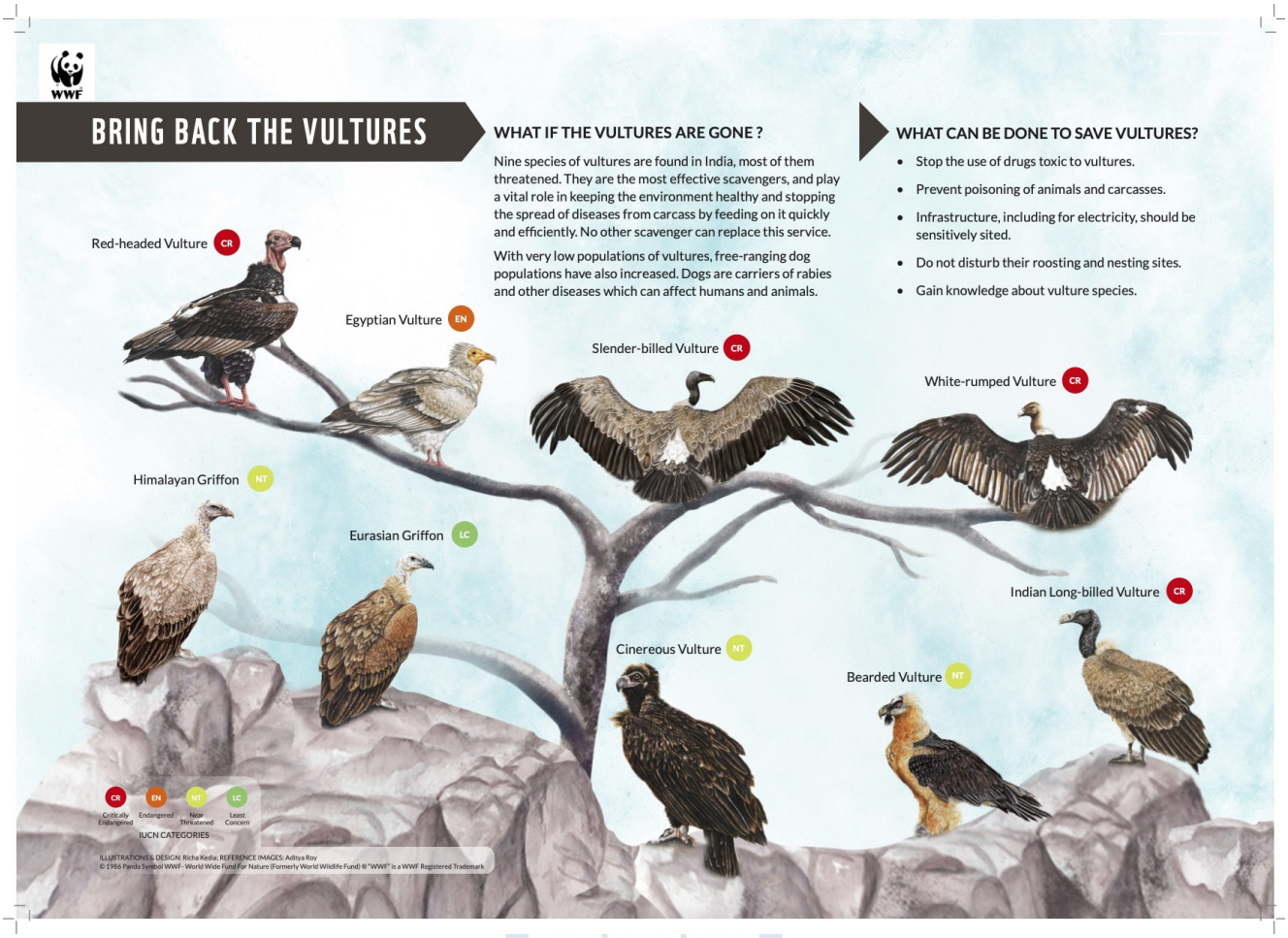

महत्त्व

- गिद्ध मृत जानवरों को जल्दी से खाकर स्वच्छता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बोटुलिज़्म और एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक रोगाणुओं के प्रसार को रोका जा सकता है।
- अत्यधिक अम्लीय पेट के साथ, वे शवों और उनके आस-पास के वातावरण को प्रभावी ढंग से कीटाणुरहित कर देते हैं।

खतरे

- डिक्लोफेनाक और कीटनाशकों का उपयोग भी मृत्यु दर के प्रमुख कारण थे।
- घोंसले के लिए पेड़ों की कमी
- विद्युत् लाइनों से विद्युत का आघात
- खाद्य की कमी और दूषित भोजन

संरक्षण की स्थिति

- दाढ़ी युक्त, लंबी चोंच वाले, पतली चोंच वाले और ओरिएंटल सफेद पीठ वाले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में संरक्षित हैं। शेष को 'अनुसूची IV' के तहत संरक्षित किया गया है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध कार्य योजना 2020-25 प्रारंभ की।
  - गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्रों की स्थापना
  - भारत में डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध

Source: TH

इडुक्की के इलायची क्षेत्र में छोटे घोंघे का संक्रमण

संदर्भ

- केरल के इडुक्की जिले में, इलायची का अच्छा सीजन घोंघे के संक्रमण के कारण खतरे में पड़ गया है।

परिचय

- घोंघे इलायची के छोटे-छोटे गुच्छों और फूलों को खाते हैं, जिससे फसल को बहुत हानि होती है।
- इसके जवाब में, किसान मेटलडिहाइड छर्रों जैसे रासायनिक मोलस्किसाइड का उपयोग कर रहे हैं।
- हालाँकि, इससे पश्चिमी घाट की जैव विविधता पर दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

इलायची (एलेटेरिया इलायची)

- इलायची, एक उष्णकटिबंधीय मसाला है, जो अदरक परिवार के एक सदस्य एलेटेरिया कार्डामोमम नामक पौधे के बीजों से उत्पन्न होता है।
- यह पौधा दक्षिणी भारत और श्रीलंका का स्थानीय प्रजाति है, और अब इसे अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
- **बढ़ने की परिस्थितियाँ:** इलायची गर्म, आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से सूखा, कार्बनिक-समृद्ध मिट्टी और आंशिक छाया में पनपती है।
  - इसे 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है और यह 4.6 और 6.5 के बीच pH को पसंद करती है।
  - यह सामान्यतः समुद्र तल से 600 और 1500 मीटर की ऊँचाई पर, उच्चभूमि क्षेत्रों में उगाया जाता है।
  - इसकी खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में की जाती है।

Source: TH

पुलित्ज़र पुरस्कार 2025

सन्दर्भ

- कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर प्रदान किए जाने वाले 2025 पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की है।

पुलित्जर पुरस्कार

- पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी, जिसका नाम समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में रखा गया था।
- **महत्त्व:** इसे अमेरिकी पत्रकारिता में सर्वोच्च सम्मान और साहित्य और कला में सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक माना जाता है।
  - पुलित्जर पुरस्कार 23 से अधिक श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: पत्रकारिता (15 श्रेणियाँ) पुस्तकें, नाटक और संगीत (8 श्रेणियाँ)।
  - प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार मिलता है।
- सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है।

प्रथम प्राप्तकर्त्ता

- न्यूयॉर्क वर्ल्ड के हर्बर्ट बेयर्ड स्वोप को "इनसाइड द जर्मन एम्पायर" नामक उनकी शृंखला के लिए रिपोर्टिंग के लिए प्रथम पुलित्जर पुरस्कार मिला, जिसमें युद्धकालीन जर्मनी पर गहन नज़र डाली गई।
- **गोबिंद बिहारी लाल:** 1937 में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति। वे अमेरिका में ग़दर पार्टी के सदस्य थे।

2025 के विजेता

- **फिक्शन:** जेम्स, पर्सीवल एवरेट द्वारा
- **नाटक:** पर्पस, ब्रैंडन जैकब्स-जेनकिंस द्वारा
- **जीवनी:** एवरी लिविंग थिंग, जेसन रॉबर्ट्स द्वारा
- **टिप्पणी:** यह मोसाब अबू तोहा को उनके शक्तिशाली व्यक्तिगत आख्यानों के लिए दिया गया, जो द न्यू यॉर्कर में प्रकाशित हुए थे, जिसमें चल रहे इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान गाजा में भौतिक और भावनात्मक तबाही का विवरण दिया गया था।

Source: TH

■■■■